छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 28 फरवरी, 2011 (फाल्गुन 9,1932)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री मोहम्मद अकबर,सदस्य, कबीरधाम जिले में समन्वित कार्ययोजना अंतर्गत प्राप्त राशि का दुरूपयोग किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बदरूद्दीन कुरैशी, श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, श्री भजन सिंह निरंकारी,सदस्य, भिलाई नगर की वृहद पेयजल योजना का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री चैतराम साहू, सदस्य, भाटापारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम धनेली से पाटन-खैरा तक मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. एवं डामरीकरण करने,

(ii) ग्राम बनसांकरा से खैरखुट-मांढ़र मार्ग का डामरीकरण करने,

(iii) ग्राम गोगिया से चमारी मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. एवं डामरीकरण करने,

(2) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य, गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम मटिया (ह) में पूर्व माध्यमिक शाला खोलने ,

(ii) ग्राम मटेवा में पूर्व माध्यमिक शाला खोलने,

(iii) ग्राम रजोली में कन्या हाई स्कूल खोलने,

(3) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य, कसडोल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम सुकदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(ii) ग्राम डोंगरा में संचालित प्राथमिक शाला हेतु नवीन स्कूल भवन निर्माण करने,

(iii) ग्राम डोगरीडीह से परसापाली पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(vi) ग्राम अर्जुनी (ब) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा

(v) ग्राम छेरकाडीह से जारा पहुंच मार्ग निर्माण करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

<u>निर्धारित समय</u>

1 घंटा 30 मिनट

4. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री अजीत जोगी, नंद कुमार पटेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

रायपुर

दिनांक 27 फरवरी, 2011

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.